

कर्नल नवीन कुमार

कुलसचिव

कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय,

कामेश्वरनगर, दरभंगा (बिहार)

मो-9934555072

पिन कोड-846008

पत्रांक 2104/2020

संचिका सं.-2060/16



Col. NAVEEN KUMAR

Registrar

K.S.D.Sanskrit University, Kameshwar

Nagar, Darbhanga (Bihar)

Mob. No.-9934555072

E-mail-ksdsureg@gmail.com

pin-846008

दिनांक 15-02/2020

शाखा-भू-सम्पदा

बन्दोवस्ती आम सूचना

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के मुख्य भवन से पश्चिम स्थित सुखी दिग्धी पोखर, जिसका रकवा 17 (सतरह) बीघा है। तीन वर्षों के लिए मछली पालन के लिए आमलोगों से निविदा दिनांक-06.03.2020 को अपराह्न चारा बजे तक निम्नशर्तानुसार आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा दाता को निविदा के साथ में 90,000/- (नब्बे हजार) रुपये मात्र सुरक्षित राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के पदनाम से जो भारतीय स्टेट बैंक में भुगतान योग्य हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. जिन निविदा दाता के नाम बन्दोवस्ती स्वीकृत की जायेगी, उनकी सुरक्षित राशि अन्तिम किस्त में समंजित कर ली जायेगी। शेष निविदा दाता को सुरक्षित राशि वापस कर दी जायेगी।
3. बन्दोवस्ती की राशि प्रतिवर्ष दो किस्तों में क्रमशः जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा बन्दोवस्ती के लिए न्यूनतम 2553000/- (पच्चीस लाख तिरपन हजार) रुपये मात्र तीन वर्षों के लिए रखी गया है। निर्धारित राशि से कम बोली वाले बन्दोवस्तकार की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा दिनांक-07.03.2020 को दिन-12:30 बजे अपराह्न कुलसचिव कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदा दाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
6. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए रद्द करने या बन्दोवस्ती स्थगित करने का अधिकार कुलपति को सुरक्षित है।
7. बन्दोवस्ती संविदा हस्ताक्षर होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए वैध होगी।
8. उच्चतम बोली के आधार पर जिनके नाम से उक्त तालाब की बन्दोवस्ती देने का निर्णय लिया जाएगा, उन्हें 24 घंटे के अन्दर प्रथम किस्त की राशि जमा करनी होगी। अन्यथा उनकी स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। अर्थात् वापस नहीं की जाएगी।
9. बन्दोवस्ती प्राप्तकर्ता को भारतीय गैर न्यायिक (Indian Non Judicial) पेपर पर एकरारनामा (AGREEMENT) करना अनिवार्य होगा।

कुलपति के आदेश से,

① सूचना वैशालिका
वि.वि.व.सा.स. पर
प्रकाशित।

रिंकू-13.02.2020

कुलपति
13.2.20

for Naveen Kumar
(कर्नल नवीन कुमार)
कुलसचिव

13/2/20

कर्नल नवीन कुमार

कुलसचिव

कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय,
कामेश्वरनगर, दरभंगा (बिहार)

मो०-9934555072

पिन कोड-846008

पत्रांक २१६३.../2020

संचिका सं.-1164/10



Col. NAVEEN KUMAR

Registrar

K.S.D. Sanskrit University, Kameshwar

Nagar, Darbhanga (Bihar)

Mob. No.-9934555072

E-mail-ksdsureg@gmail.com

pin-846008

दिनांक 15.02.2020

शाखा-भू-सम्पदा

बन्दोवस्ती आम सूचना

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के दिवानी तकिया स्थित कृषि योग्य भूमि, जिसका रकवा 17 विघा 05 कट्टा 17 धूर है, तीन वर्षों के लिए कृषि कार्य हेतु आमलोगों से निविदा दिनांक-06.03.2020 को अपराह्न चारा बजे तक निम्नशर्तानुसार आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा दाता को निविदा के साथ में 20,000/- (बीस हजार) रुपये मात्र सुरक्षित राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के पदनाम से जो भारतीय स्टेट बैंक में भुगतान योग्य हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. जिन निविदा दाता के नाम बन्दोवस्ती स्वीकृत की जायेगी, उनकी सुरक्षित राशि अन्तिम किस्त में समंजित कर ली जायेगी। शेष निविदा दाता को सुरक्षित राशि वापस कर दी जायेगी।
3. बन्दोवस्ती की राशि दो किस्तों में क्रमशः जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा बन्दोवस्ती के लिए न्यूनतम वोली राशि 180000/- (एक लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र तीन वर्षों के लिए रखी गई है। निर्धारित राशि से कम वोली वाले बन्दोवस्तकार की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा दिनांक-07.03.2020 को दिन-12:30 बजे अपराह्न कुलसचिव कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदा दाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
6. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए रद्द करने या बन्दोवस्ती स्थगित करने का अधिकार कुलपति को सुरक्षित है।
7. बन्दोवस्ती संविदा हस्ताक्षर होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए वैध होगी।
8. उच्चतम वोली के आधार पर जिनके नाम से उक्त जमीन की बन्दोवस्ती देने का निर्णय लिया जाएगा, उन्हें 24 घंटे के अन्दर प्रथम किस्त की राशि जमा करनी होगी। अन्यथा उनकी स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। अर्थात् वापस नहीं की जाएगी।
9. बन्दोवस्ती प्राप्तकर्ता को भारतीय गैर न्यायिक (Indian Non Judicial) पेपर पर एकरारनामा (AGREEMENT) करना अनिवार्य होगा।

कुलपति के आदेश से,

① सूचना के शाहीर के
कि कि क्वेसाइट पर
प्रकाशित।

रिंक-13.02.2020

13.2.20

for 15/2/20
(कर्नल नवीन कुमार)
कुलसचिव

13/2/20